न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 13/2019

1. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी प्रभाकरण सिंह राजपूत निवासी बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीया

बनाम

1. मोहन पुत्र गोकुल गुर्जर निवासी चौकीराजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
2. जगदीश पुत्र छीतर गुर्जर निवासी चौकीराजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
3. तहसीलदार तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री बिशनसिंह राजावत एडवोकेट वादिया
2. श्री सुरेन्द्र सिंह धन्नावत एडवोकेट वादिया
3. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि वर्मा (R.A.S.)

निर्णय

दिनांक 30.5.19

वादिया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 77 में दर्ज खसरा नं. 666/377 रकबा 1.62 हेक्ट. जो कि वादिया के खातेदारी में दर्ज आराजी हैं। जिस पर वादिया वर्षो से कब्जे काश्त चली आ रही हैं। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता या सरोकार नहीं हैं। वादिया की आराजी के लगवा प्रतिवादी 1 की 1/3 हिस्से की आराजी स्थित [illegible] वादीया की आराजी की सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा आदि करते है व फसल को खुर्द बु[illegible] जिसका उन्हें कानूनी तौर से कोई अधिकार नहीं हैं। लडाई झगडे से परेशान [illegible] की पत्थरगढी हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमा[illegible] पत्थरगढी के [illegible] प्रतिवादी संख्या 3 को दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:41 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 1 की ओर से पावर पेश किया तथा तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के बार–बार आवाजें लगानें पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

तथा प्रतिवादी 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के पेश हुआ और उभयपक्षों की बहस सुनी गई संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं –

बहस के दौरान वादीया के अधिवक्ता ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादीया की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 77 में दर्ज खसरा नं. 666 / 377 रकबा 1.62 हेक्ट. जो कि वादिया के खातेदारी में दर्ज आराजी हैं। जिस पर वादिया वर्षो से कब्जे काश्त चली आ रही हैं। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता या सरोकार नहीं हैं। वादिया की आराजी के लगवा प्रतिवादी 1 की 1 / 3 हिस्से की आराजी स्थित हैं। प्रतिवादीगण आये दिन आराजी की सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा आदि करते है व फसल को खुर्द बुर्द करते है जिसका उन्हें कानूनी तौर से कोई अधिकार नहीं हैं। लडाई झगडे से परेशान होकर वादिया ने अपने स्वयं की आराजी की पत्थरगढी हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है जिसके कारण वादिया ने यह वाद पेश किया है जो स्वीकार योग्य बनता हैं। वादिया ने वादग्रस्त आराजी की पूर्व में दिनांक 16.05.2018 को सीमाज्ञान करवाया था जिसकी मौका रिपोर्ट व नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 की नकल वादपत्र को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु पेश की है किन्तु प्रतिवादीगण पूर्व में किये गये सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है तथा प्रतिवादी के नाम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता नं. 37 वादिया ने पेश की हैं।

बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी 1 ने अपने जवाब दावा में काउन्टर क्लेम में लिखित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादीया की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 666 / 377 जिसके लगवा प्रतिवादी 1 की 1 / 3 हिस्से की आराजी खसरा नं. 337 / 635, 337 / 636, 337 / 658 की भूमि लगवा है जिसमें प्रतिवदी संख्या का 1 / 3 हिस्सा हैं। वादीया का दावा स्वीकार फरमाते हुए प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बरान की पत्थरगढी हेतु वादीया का दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। वादिया की वादग्रस्त आराजी वादिया की खातेदारी में दर्ज है, जिसके लगवा प्रतिवादी 1 की 1 / 3 हिस्से की आराजी स्थित हैं। लिहाजा वादीया का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों प्रैमा फैसाई होने से वादपत्र का संतुलन भी वादीया के पक्ष में होना जाहिर होता हैं। वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों अपने–अपने हक में सिद्ध होता हैं।

अतः वादीया का दावा अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 77 में दर्ज खसरा नं. 666 / 377 रकबा 1.62 हेक्ट. व प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम में दर्ज आराजी खसरा नं. 337 / 635 रकबा 0.81 हेक्ट. खसरा नं. 337 / 636 रकबा 0.61 हेक्ट. व खसरा नं. 337 / 658 रकबा 0.20 हेक्ट की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराकर पत्थरगढी करवा पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.5.19 को [illegible] पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी
सत्यमेव जयते
अजमेर